



// कार्यालय-आदेश //

विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 की धारा-5.10 से 5.13 में कुलानुशासक की नियुक्ति के सम्बन्ध में दी गई व्यवस्थानुसार परिसर में अनुशासन व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से कुलानुशासक के सहयोग हेतु गठित कुलानुशासक मण्डल हेतु निर्गत आदेश संख्या 1904/फा0सं0-499/एच0ओ0डी0/2022-23, दिनांक 29 सितम्बर, 2022 में आंशिक संशाधन करते हुए नामित सहायक कुलानुशासक डॉ0 विजय कुमार वर्मा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र एवं डॉ0 संतोष कुमार सुमन, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (संविदा), अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के स्थान पर निम्नानुसार सदस्यों को अग्रिम आदेश तक नामित किया जाता है :-

1. डॉ0 नरेन्द्र प्रताप सिंह, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, वाणिज्य - सहायक कुलानुशासक
2. श्री अनिल गौड, असिस्टेण्ट प्रोफेसर(संविदा) अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी - सदस्य

उपरोक्तानुसार नामित सहायक कुलानुशासक एवं सदस्य को नियमानुसार अनुमन्य भत्ता देय होगा।
उक्त कार्यालय आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक-3371/फा0सं0-499/वि0नामित/स्था./डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2022-23

दिनांक 21 मार्च, 2023

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर आवलोनार्थ प्रेषित।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. कुलानुशासक, विश्वविद्यालय को उनके पत्र 250/कुलानुशासक का0/2022-23, दिनांक 13 मार्च, 2023 के क्रम में सूचनार्थ।
6. सम्बन्धित शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
7. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
8. विश्वविद्यालय की वेबसाइट हेतु।
9. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
10. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव